सड़क सुरक्षा / उच्च प्राथमिकता।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0–2608108

संख्या 826 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25)–दो / 2018 दिनांक: 23 फरवरी, 2018

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
6– महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
9– कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला–देहरादून।
10–रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58 / 37–बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

विषयः–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24–01–2018 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24–01–2018 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा बैठक के कार्यवृत्त का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

बैठक के कार्यवृत्त संख्या–105 / 21(2015) / ix / 2018 दिनांक 15–02–2018 की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) दिनांक 10–03–2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(सुचेता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः–2 पर

संख्या 886 /प्रवर्तन/स0सु0/1—8(25)—दो/2018 समदिनांकित

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/गृह/लोक निर्माण/शहरी/आबकारी/वित्त/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

दिनांक 24–01–2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा एवं दुघर्टनाओं के न्यूनीकरण हेतु ली गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री डी0 सेन्थिल पाण्डियन, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री एच0सी0 सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री अनिल रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
4– श्री अशोक कुमार, अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
5– श्री केवल खुराना, पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय।
6– श्री राजेश कुमार, अनु. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8– श्री सनत कुमार सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9– श्री हरीओम शर्मा, चीफ इंजिनियर, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10– श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
12– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य लीड एजेन्सी।
13– श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, निरीक्षक यातायात, सदस्य लीड एजेन्सी।
14– श्री प्रदीप गुसाई, पी0डी0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
15– श्री पी0एन0 गवासने, डी0जी0एम0(टी)/आर0एस0ओ0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
16– श्री पी0एस0 पाण्डेय, मैनेजर (टी) एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।
17– कर्नल संदीप कार्की, जनरल मैनेजर, एन0एच0ए0आई0।
18– कर्नल एस0के0 चावला, टीम लीडर, एन0एच0ए0आई0।
19– श्री निखलेश नौटियाल, वाई0पी0 (टी), एन0एच0ए0आई0।
20– श्री अंशुल शर्मा, मैनेजर, (टी), एन0एच0ए0आई0।

इसके अतिरिक्त जनपदों में समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए सचिव, परिवहन उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गत बैठक दिनांक 19–12–2017 में दिए गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया गया तथा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 तक राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

2– सचिव, परिवहन द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 1603 वाहनों की दुर्घटना, 942 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1631 व्यक्तियों घायल हुये हैं। माह दिसम्बर, 2017 तक चम्पावत, पौड़ी, एवं देहरादून जनपदों में दुर्घटनाओं की संख्या में जबकि उत्तरकाशी, पौड़ी, चम्पावत व नैनीताल जनपदों में मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी।

3– मुख्य सचिव महोदय द्वारा जनपदवार की गई समीक्षा का विवरण निम्नवत् हैः–

AO (RS)
21/02/18

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
22 FEB 2018
संख्या 1309

1—**चमोली**

(1) जिलाधिकारी चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 51 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 19.05 प्रतिशत कम हैं। उनके द्वारा जनपद में प्रशासन, परिवहन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय से दुर्घटनाओं को कम करने की नियमित आधार पर चैंकिग तथा प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों का चालान काटे जा रहे है इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। साईन बोर्ड को विशिष्ट (Specific) स्थानों पर लगाया गया है। गलत स्थानों पर लगाये गये होर्डिग एवं मार्गो पर अतिक्रमण को हटाया गया है। आकस्मिक स्थिति में दुर्घटना होने पर हैलिकाप्टर के माध्यम से धायलों को चिकित्सालय भेजने की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार जनपद में तथ्यों एवं आकडों के आधार पर दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारणों को चिन्हित कर उनका निराकरण कराया जा रहा है। जिससे जनपद में दुर्घटनाओं में कमी आयी है। मुख्य सचिव द्वारा जनपद के अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारणों को चिन्हित कर उन्हें टारगेटेड आधार पर दूर करने के लिए जनपद के अधिकारियों की सराहना की गयी। तथा अन्य जनपदों को भी इसी प्रकार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(2) जनपद में 02 ब्लैक स्पॉट हैं। जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में मात्र 01 स्थल को चिन्हित किया गया है, जिसका सुधारीकरण किया जाना है।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 1.64 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए प्राप्त कुल संस्तुतियों के सापेक्ष 45. 24 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 03 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(5) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

2— **रूद्रप्रयाग**

(1) जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में गत वर्ष की अवधि में कुल 35 दुर्घटनाए हुई थी जबकि वर्ष 2017 में माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 22 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 37.14 प्रतिशत कम हैं। जनपद में हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश 15—16 दुर्घटनाए वाहन चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने से हुई है, जो स्थानीय नागरिक थे तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के थे। इसमें 02 व्यक्तियों का चालान कर उन्हें जेल भी भेजा गया है। जनपद में पुलिस, परिवहन विभाग एवं प्रशासन के आपसी समन्वय से प्रवर्तन की कार्यवाही को बढाया गया है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता कर उन्हें व्यवसायिक वाहनों द्वारा यातायात नियमों का पालन करने हेतु काउन्सिलिंग एवं वार्ता की गयी है। जनपद में सड़क सुरक्षा हेतु एक समिति बनायी गयी है जो मौके पर जाकर दुर्घटना का विश्लेषण

कर अपनी रिर्पोट प्रेषित करती है एवं समिति की रिर्पोट के आधार पर दुघर्टना के कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मुख्य सचिव द्वारा जनपद में दुघर्टनाओं को रोकने हेतु कारणों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने हेतु टारगेटेड आधार पर कार्यवाही किये जाने की सराहना की गयी तथा दुघर्टना के कारणों का पूर्ण विश्लेषण कर अन्य जनपदों को भी इसी प्रकार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(2) जनपद में कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति ने अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण में मात्र 05 स्थल को चिन्हित किया गया है, जिसका सुधारीकरण किया जाना है।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 51.20 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 94.34 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) यद्यपि पुलिस विभाग द्वारा जनपद में नियमित रूप से चैंकिग अभियान संचालित करने एवं शराब के नशे में वाहनों का संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही किये जाने/उनको थानें में निरूद्व करने व वाद दायर करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस प्रकार की कार्यवाही अन्य जनपदों के परिवहन/पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा भी की जानी आवश्यक है।

(5) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक केवल 02 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(6) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

3—<u>चम्पावत</u>

(1) जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 26 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 36.84 प्रतिशत अधिक हैं। टनकपुर में 17 दुघर्टना हुई है। मार्गो पर निर्माण कार्य चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों का आवागमन ज्यादा है। 09 प्रकरणों में दुघर्टना दोपहिया वाहनों से हुई है जिनमें सड़क की गुणवत्ता खराब पायी गयी है। जनपद में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पिछले काफी समय से बीमार रहने के कारण प्रवर्तन का कार्य प्रभावित हुआ।

(2) मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी से यह पृच्छा व्यक्त की गयी कि शीघ्र ही जनपद में पूर्णागिरी मेलें का आयोजन किया जाना है जिससे जनपद में यातायात में वृद्वि होने की सम्भावना रहेगी। ऐसी स्थिति में जनपद में क्या योजना बनायी गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु 02 मेला मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त मेले के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त फोर्स की भी मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु 18 गांवों के 180 लोगों को प्रशिक्षित कराया गया है।

(3) जनपद में कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है तथा अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 23 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसका सुधारीकरण किया जाना है।

(4) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 16.67 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 76. 92 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(5) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 केवल 02 बैठको का ही आयोजन किया गया, जो निर्धारित संख्या से कम है।

(6) सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत भी वर्ष 2017 में जनपद में कुल 01 मामला पाया गया, परन्तु प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

(7) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 87 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 56 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 31 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है। जिन्हें तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

4—<u>अल्मोड़ा</u>

(1) जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में दुघर्टनाओं का आकडें तथा डाटा फीड नहीं हो पा रहा है। जनपद में अधिकांश दुघर्टनाए चौपहिया वाहनों से हुई है तथा जनपद में शराब पीकर वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व प्रवर्तन की कार्यवाही बढायी गयी है। माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 11 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 15.38 प्रतिशत कम हैं।

(2) जनपद में 01 ब्लैक स्पॉट हैं जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 239 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 21.75 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 47. 37 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 09 बैंठके आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 02 बैठको का ही आयोजन किया गया। जो मात्र 22.22 प्रतिशत है।

(5) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

5—<u>उत्तरकाशी</u>

(1) जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 35 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 16.

67 प्रतिशत कम हैं। 31 दुघर्टना का कारण निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाना पाया गया है। जिले में 01 समिति का गठन किया गया है जो दुघर्टना के उपरान्त घटना स्थल पर जाकर दुघर्टना के कारणों का विश्लेषण कर रिर्पोट प्रेषित करती है। जनपद में निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्व प्रभावी निरन्तर हेतु 2–3 स्पीड ड्राईविग गन की आवश्यकता है।

(2) मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि सडक सुरक्षा कोष में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित विभागों से सडक सुरक्षा हेतु अपेक्षित उपकरण एवं अन्य कार्यो का ब्यौरा प्राप्त कर लिया जायें। मार्गो पर साईनेज विशिष्ट (Specific) प्रकार के होने चाहियें। बिना जांच पड़ताल के दुघर्टनाओं की संख्या को कम या अधिक अंकित न किया जाये अपितु जनपद में परिवहन, पुलिस एवं प्रशासन विभाग के अधिकारियों से गठित संयुक्त समिति द्वारा ही फिल्ड का दौरा कर प्रेषित रिर्पोट के आधार पर दुघर्टना के आकडें तैयार किये जाये।

(3) जनपद में कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 90 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

(4) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 20.92 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 50. 72 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(5) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 06 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(6) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

6–<u>हरिद्वार</u>

(1) जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 333 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 3.20 प्रतिशत कम हैं। जनपद में 25 ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें से अभी तक मात्र 05 का ही सुधारीकरण किया गया है, जबकि 20 ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण किया जाना है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 14 स्थलों को चिन्हित किया गया है। जनपद में अधिकांश दुघर्टनाए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर होना पाया गया है। मार्गो के निर्माणाधीन होने के कारण भी दुघर्टनाए हो रही है। जनपद में वाहन चालकों के सीट बैल्ट, हेलमेट का अनुपालन कराये जाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

(2) मुख्य सचिव महोदय द्वारा जनपद में दुघर्टनाओं के प्रतिशत में कमी को सन्तोषजनक नहीं पाया अपितु यह निर्देश दिये गये कि हरिद्वार में दुघर्टनाओं की संख्या 333 बहुत अधिक है तथा जनपद में दुघर्टनाओं को कम करने हेतु विशेष टारगेटेड प्रयास किये जाने की अपेक्षा है। दुघर्टना के कारणों का विश्लेषण आयु वर्ग, वाहन चालकों के प्रोफाईल के आधार पर किया जाये तथा दुघर्टना के कारणों की जॉच केवल जनपद में इस हेतु गठित संयुक्त टीम से ही कराया जाये।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 10.38 प्रतिशत

संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 63.62 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 09 बैंठके आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 06 बैठको का ही आयोजन किया गया। जो मात्र 66.67 प्रतिशत है।

(5) सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2017 में जनपद में कुल 21 मामले पाये गये, परन्तु प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

(6) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 67 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 31 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 34 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

7—<u>ऊधमसिंह नगर</u>

(1) जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 362 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 4.49 प्रतिशत कम हैं। इस दुघर्टनाओं में 138 व्यक्तियों की मृत्यु केवल पैदल यात्रियों की ही हुई है। 28 दुघर्टना में ट्रक वाहनों का शामिल होना पाया गया है। जनपद में ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिग पर नियंत्रण हेतु विशेष रूप से कार्रवाही की जा रही है। जनपद में डम्पर की ओवर लोडिग बन्द करायी गयी है। मुख्य सचिव द्वारा जनपद में हुई दुघर्टनाओं में पैदल व्यक्तियों की मृत्यु होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा जनपद में भारी वाहनों के सुचारू संचालन हेतु अतिक्रमण हटाने तथा मुख्य मार्गो में दुघर्टना हेतु उत्तरदायी कारणों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा यातायात नियमों के पालन हेतु बनाये गये विडियों को सभी जनपदों के अधिकारियों द्वारा देखे जाने की अपेक्षा की गयी।

(2) जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट हैं। जिनमें से अभी तक मात्र 08 का ही सुधारीकरण किया गया है, जबकि 20 ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण किया जाना है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 23 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 4.17 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 62.09 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 04 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(5) सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2017 में जनपद में कुल 61 मामले पाये गये, परन्तु प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

(6) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 260 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 162

होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 98 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

8—देहरादून

(1) जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 342 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 15.93 प्रतिशत अधिक हैं। जनपद में 49 ब्लैक स्पॉट हैं जिनमें से अभी तक मात्र 03 का ही सुधारीकरण किया गया है, जबकि 46 ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण किया जाना है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 38 स्थलों को चिन्हित किया गया है। जनपद में सडक दुघर्टनाओं को कम करने हेतु विशेष रूप से जनपद के डोईवाला, प्रेमनगर, लालतप्पड, विकासनगर क्षेत्रों में विशेष रूप से वाहनों की ओवर स्पीड को फोकस किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मे पुलिस द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही को बढाया गया है।

(2) मुख्य सचिव महोदय द्वारा जनपद की स्थिति एवं यातायात के अत्यधिक दबाव तथा दुघर्टनाओं की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए केवल 05 क्षेत्रों पर ही फोकस किये जाने को अपर्याप्त बताया गया तथा जनपद में अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी प्रवर्तन करने की निर्देश दिये इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जनपद के मुख्य मार्गो पर निर्माण सामग्री के पडे रहने से सम्भावी दुघर्टना का प्रमुख कारण मानते हुए इन्हें दूर किये जाने तथा अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जनपद के मसूरी मार्ग पर वाहन चालकों द्वारा अक्सर वाहन रोककर वाहनों में शराब पीने की बढती प्रवृति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इन पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 47.85 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 47.57 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 09 बैंठके आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 05 बैठको का ही आयोजन किया गया। जो मात्र 55.55 प्रतिशत है।

(5) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(6) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 46 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 25 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 21 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

9—पौड़ी

(1) जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 38 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 26.67 प्रतिशत अधिक हैं। जनपद में 01 ब्लैक स्पॉट हैं जिसका सुधारीकरण किया जाना

होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 16 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें तत्काल हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

11—टिहरी

(1) अवगत कराया गया कि जनपद में माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 113 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 0.88 प्रतिशत कम हैं।

(2) जनपद में 05 ब्लैक स्पॉट हैं। जिसका सुधारीकरण किया जाना है। ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में किसी भी स्थल का चिन्हीकरण नहीं किया गया।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 4.84 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 57.39 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 09 बैंठके आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 08 बैठको का ही आयोजन किया गया है।

(5) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(6) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 45 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 41 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 04 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

12—पिथौरागढ़

(1) अवगत कराया गया कि जनपद में माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 32 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 3.23 प्रतिशत अधिक हैं।

(2) जनपद में 02 ब्लैक स्पॉट हैं जिसमें से 01 का सुधारीकरण किया जाना है।ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 02 स्थल का चिन्हीकरण किया गया।

(3) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 7.69 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 84.00 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(4) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के कम में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 09 बैंठके आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 06 बैठको का ही आयोजन किया गया है।

(5) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(6) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 42 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 08

है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 24 स्थलों को चिन्हित किया गया है। जनपद में दुघर्टनाए बढ गयी है। 133 प्रकरणों का विश्लेषण किया गया है। जनपद में सडक दुघर्टनाओं को कम करने हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही तथा नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों की काउन्सलिंग में वृद्वि की गयी है। इसके अतिरिक्त स्कूलों के छात्रो को भी जागरूक करने की कार्यवाही की गयी है।

मुख्य सचिव द्वारा जनपद में सडक दुघर्टनाओं हेतु कारणों को टारगेट एवं चिन्हित कर तद्नुसार उनका निराकरण करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(2) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 3.26 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 80. 20 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(3) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 06 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(4) सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2017 में जनपद में कुल 05 मामले पाये गये, परन्तु प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

(5) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 71 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 24 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 47 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

10—<u>नैनीताल</u>

(1) अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 226 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 5.12 प्रतिशत अधिक हैं। जनपद में 07 ब्लैक स्पॉट हैं। जिसमें से सभी ब्लैक स्पॉटों का सुधारीकरण किया जाना है। अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 570 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

(2) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 3.84 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 68. 14 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(3) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 06 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(4) सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2017 में जनपद में कुल 16 मामले पाये गये, परन्तु प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

(5) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 77 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 61

होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 34 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

13–बागेश्वर

(1) अवगत कराया गया है कि जनपद में माह दिसम्बर, 2017 तक जनपद में कुल 12 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं में 9.09 प्रतिशत अधिक हैं। ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में 26 स्थल का चिन्हीकरण किया गया।

(2) रेड लाईट जम्पिंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीडिंग, मोबाईल पर बात करना, नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में लाईसेन्सों के विरूद्व मात्र 10.50 प्रतिशत संस्तुतियॉ की गयी है, जबकि लाईसेन्स के लिए कुल प्राप्त संस्तुतियों के सापेक्ष 71.79 प्रतिशत के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

(3) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है परन्तु इसके सापेक्ष जनपद में केवल 04 बैठको का ही आयोजन किया गया।

(4) जनपद में सोलेशियम स्कीम के अर्न्तगत किसी भी प्रकरण में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(5) जनपद में लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 33 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते है, उनमें मात्र 28 होर्डिंग्स/आब्जेक्टों को ही हटाया गया है, जबकि 05 होर्डिंग्स/आब्जेक्ट अभी तक हटाये जाने है, जिन्हें हटवाये जाने की कार्यवाही की जाय।

4– मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश भी दिये गयेः–

(1) चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही करना, दुर्घटना स्थलों पर साईनेज बोर्ड लगाना एवं अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण/ सुधारीकरण की कार्यवाही की जाय।

(2) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना /नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। साथ ही नशे की हालत में वाहन संचालन करने वाले वाहन चालकों का एल्कोमीटर से नियमित चैंकिग की जाय।

(3) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुये आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा जिलाधिकारियों द्वारा इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ समिति की वर्ष में कम–से–कम 04 बैठकें अनिवार्य रूप से आहूत की जाय। सर्वसम्बन्धी के सूचनार्थ जनपदों में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। जिससे दुघर्टना से प्रभावित पीडित व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

(4) जिला सड़क सुरक्षा समितियों की मासिक बैठकों में दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया जाय।

(5) वाहनों को निर्धारित गति सीमा के अन्तर्गत चलाये जाने का अनुपालन कराये जाने हेतु वाहनों की चैंकिग रडार गन, सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से की जाय।

(6) राज्य के सभी जनपदों में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण जिला प्रशासन/परिवहन/पुलिस/लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की टीम गठित करते हुये मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाय।

(7) दुर्घटना में सम्मिलित चालक की पहचान की जाए, यदि वह स्कूली छात्र है तो सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्य/अभिभावकों आदि से भी वार्ता/ काउसंलिंग की कार्यवाही की जाय। यदि ऐसा प्रकाश में आता है कि किसी स्कूल विशेष कक्षा/आयु वर्ग विशेष दुर्घटनाओं में ज्यादा सम्मिलित हैं तो फोकसड तरीके से सम्बन्धित स्कूल या सम्बन्धित कक्षा के बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

(8) जनपदों में स्थित टैक्सी/मैक्सी कैब यूनियन के पदाधिकारियों/चालकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दी जाय। टैक्सी/मैक्सी कैब चालकों का सत्यापन/पुष्टि की जाय एवं चालकों को होने वाली परेशानियों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

(9) राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिस स्थान पर दुर्घटना घटित हुई है उस स्थान पर सम्बन्धित जनपद की जिला प्रशासन/परिवहन/पुलिस/लोक निर्माण विभाग की गठित संयुक्त टीम द्वारा 02 दिन के अन्दर स्थल निरीक्षण करते हुए दुर्घटना होने के कारणों (यथा दुर्घटना करने वाले चालक की आयु, चालक शराब के नशे में वाहन का संचालन कर रहा था अथवा तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हुई है, आदि) एवं उसके साथ–साथ परिवारजनों, निवास के क्षेत्र आदि के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जाय। ताकि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर इनमें कमी लाये जाने हेतु लक्षित (Targeted) अभियान चलाया जा सके।

(10) जनपदों के अर्न्तगत स्कूली बच्चों एवं अन्य सड़क प्रयोगताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किये जा रहे सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम/जागरूकता अभियान की संख्या कम पायी गयी है। सड़क सुरक्षा के दृष्टि से समय–समय पर इनको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–1057/21(2015)/ix/2018
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा/शिक्षा/आबकारी/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/गृह/लोक निर्माण/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2— महानिदेशक/निदेशक, शिक्षा/पुलिस/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

3— अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, G 5&6 सेक्टर—10 द्वारका, नई दिल्ली।

4— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5— आयुक्त, आबकारी/मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड।

6— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

7— क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

8— कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, शिवालिक परियोजना, वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।

9— उपस्थित अधिकारीगण।

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।